न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 81/2023

प्रार्थी

1. भवरसिंह पुत्र दीपसिंह फौत के कायम मुकाम
   1/1 करणसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/2 भैरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चन्दनसिंह पुत्र दीपसिंह फौत के कायम मुकाम
   1.1. स्वरूपसिंह पुत्र चन्दनसिंह
   1.2. जोरसिंह पुत्र चन्दनसिंह
   1.3. शैतानसिंह पुत्र चन्दनसिंह
   1.4. हीरसिंह पुत्र चन्दनसिंह
   1.5. धापुकंवर पत्नी चन्दनसिंह
2. गुलाबसिंह पुत्र सांगसिंह
3. तखतसिंह पुत्र सवाईसिंह
4. रामसिंह पुत्र सवाईसिंह
5. नेनू कंवर पत्नी सवाईसिंह
6. राणसिंह दत्तकपुत्र खुमसिंह
7. चुतरसिंह पुत्र अचलसिंह
8. जुगतसिंह पुत्र अचलसिंह
9. भुरसिंह पुत्र खंगारसिंह
10. वचनसिंह पुत्र खंगारसिंह
11. वशनकंवर पत्नी वचनसिंह जातियान राजपूत
12. आदूराम पुत्र खरताराम
13. झमकू पत्नी भीखाराम
14. भूराराम पुत्र तुलछाराम
15. मूलाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना
16. पारसी देवी पत्नी किशनाराम
17. आसूराम पुत्र खीयाराम
18. तुलछा पुत्र खीयाराम
19. भैराराम पुत्र खीयाराम
20. एलची पत्नी सोनाराम जातियान विश्नोई निवासी सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना
21. ठाकराराम पुत्र रूघाराम
22. भारमलराम पुत्र रूघाराम
23. भागीरथ दत्तकपुत्र माधाराम
24. मिरगों देवी पत्नी आसूराम
25. मीरा देवी पत्नी तुलछाराम
26. [illegible]लाल पुत्र सोनाराम
27. [illegible]देवी पत्नी भैराराम
28. [illegible] पुत्र [illegible]ाराम
29. [illegible]रचन्द पुत्र खीयाराम
30. रामकिशन पुत्र रूघा[illegible] फौत के कायम मुकाम
   30.1. सदराम पुत्र रामकिशन
   30.2. भागीरथराम पुत्र रामकिशन
   30.4. धीमाराम पुत्र रामकिशन फौत के कायम मुकाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

30.4.1. ओमप्रकाश पुत्र धीमाराम
जातियान विश्नोई निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना
30.5. भोमाराम पुत्र रामकिशन निवासी सोमारड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
31. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना।
32. शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना
33. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमन्ना
34. शाखा प्रबंधक दी सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
35. श्रीमान् तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 21.06.2023

अधिवक्ता :– श्री रामनिवास विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 19, 23, 30/1,30/5

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.08.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12.1163 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सुदाबेरी खूर्द व खेत खाता नम्बर 33 खसरा नम्बर 161/3, 163/162 रकबा क्रमशः 3.2375, 3.0757 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, बारानी दोयम मौजा सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार [illegible] खेतों [illegible] को लेकर आपस में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण [illegible] उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन [illegible] तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:41:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा सुदाबेरी खुर्द व सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का खातेदारी के खेत खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12.1163 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सुदाबेरी खूर्द व खेत खाता नम्बर 33 खसरा नम्बर 161/3, 163/162 रकबा क्रमंशः 3.2375, 3.0757 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, बारानी दोयम मौजा सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के चारों तरफ पक्की नेखबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 35 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, जिस पर दिनांक 28.07.2023 को विप्रार्थी संख्या 19, 23, 30/1 व 30/5 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जबाव हेतु अवसर चहा तथा दिनांक 07.05.2024 को विप्रार्थी संख्या 2 से 18, 20 से 22 व 24 से 29, 30/2 से 30/4 व 31 से 34 को विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण व विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। तथा दिनांक 28.06.2024 को विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा विप्रार्थी संख्या 19, 23, 30/1 व 30/5 की ओर से लम्बे समय से जबाव नहीं देने के कारण जबाव बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:27 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि खेत खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12.

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

1163 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सुदाबेरी खूर्द व खेत खाता नम्बर 33 खसरा नम्बर 161/3, 163/162 रकबा क्रमंशः 3.2375, 3.0757 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, बारानी दोयम मौजा सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खेत खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12.1163 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सुदाबेरी खूर्द व खेत खाता नम्बर 33 खसरा नम्बर 161/3, 163/162 रकबा क्रमंशः 3.2375, 3.0757 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, बारानी दोयम मौजा सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किया गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खेत खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12. 1163 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सुदाबेरी खूर्द व खेत खाता नम्बर 33 खसरा नम्बर 161/3, 163/162 रकबा क्रमंशः 3.2375, 3.0757 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, बारानी दोयम मौजा सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 भली—भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खेत खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12.1163 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सुदाबेरी खूर्द व खेत खाता नम्बर 33 खसरा नम्बर 161/3, 163/162 रकबा क्रमंशः 3.2375, 3.0757 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, बारानी दोयम मौजा सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण [illegible]गण के हर्जे—खर्चे से उसके खेत खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12.1[illegible] हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा सुदाबेरी खूर्द व खेत खाता नम्बर 33 खसरा [illegible]61/3, 163/162 रकबा क्रमंशः 3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:27 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

2375, 3.0757 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, बारानी दोयम मौजा सुदाबेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा—विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक — **14.08.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:21:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner